उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

16/11/15 पत्रावली प्रार्थी हरदेवराम जाटिया वकील श्री सिद्धार्थसिंह मिसल तलबी का आवेदन पत्र पेश होने पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिये कार्यवाही चलाना नहीं चाहते हैं। वाद विड्रा करना चाहते हैं। वादी की पहचान वकील वादी श्री सिद्धार्थसिंह द्वारा की गई। अतः प्रार्थी वादी के निवेदन पर वाद वादी विड्रा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मिसल फाईल शुमार हो। जा॰

उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

हरदेवराम

पहचान कर्ता

(एड॰ सिद्धार्थसिंह)